(ग) उन्हे उनके देश वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) चूंकि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और वापस भेजने की शक्तियां, राज्य सरकारों/संघ शसित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं इसलिए ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार, पड़ोसी देशों से चोरी छिपे भारत में घुसकर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों से संबंधित समस्या से अवगत हैं। ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की शिनाखत करने और उन्हे वापस भेजने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासात्मक गतिविधियां

2387. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री दिनांक 24 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यो के लिए चीनी सीम के आस-पास वाले क्षेत्रों का चयन न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या कल्लू-मनाली-केंलांग से लेह-लद्दाख का मार्ग सबसे छोटा हैं और इसलिए रक्षागत सभी आपूर्तिया इसी मार्ग से की जाती हैं तथा लैह-लद्दाख क्षेत्र पाकिस्तानी सीमा के साथ लगा हुआ हैं,

(ग) क्या सरकार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़को के निर्माणर्थ इस क्षेत्र को धन प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) उन्हे उनके देश वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) चूंकि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और वापस भेजने की शक्तियां, राज्य सरकारों/संघ शसित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं इसलिए ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार, पड़ोसी देशों से चोरी छिपे भारत में घुसकर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों से संबंधित समस्या से अवगत हैं। ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों की शिनाखत करने और उन्हे वापस भेजने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासात्मक गतिविधियां

2388. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री दिनांक 24 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ङ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यो के लिए चीनी सीम के आस-पास वाले क्षेत्रों का चयन न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या कल्लू-मनाली-केंलांग से लेह-लद्दाख का मार्ग सबसे छोटा हैं और इसलिए रक्षागत सभी आपूर्तिया इसी मार्ग से की जाती हैं तथा लैह-लद्दाख क्षेत्र पाकिस्तानी सीमा के साथ लगा हुआ हैं,

(छ) क्या सरकार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़को के निर्माणर्थ इस क्षेत्र को धन प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(ज) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?